[illegible]

[illegible] — बनाम [illegible]

मुकदमा संख्या / सन् 96/2014 — 120

[illegible]	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा जिसमें आज्ञा दी
	1/5/25	[illegible] उप खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)
	1/5/25	पत्रावली पेश हुई। [illegible] 28/4/25
	28/4/25	[illegible] अभिभाषक [illegible] के कारण [illegible] पीठासीन [illegible] अन्य [illegible] अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8/5/25 को पेश
	8/5/25	[illegible] दिनांक 20/5/25
	20/5/25	पत्रावली पेश हुई। न कोई प्रार्थी उपस्थित दावा पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रा0पत्र 07 का एवं प्रमुख स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज हो चुका है अन्य प्रार्थी प्रा0पत्र 7.9. या कोई कार्यवाही अधिशेष नहीं रह जाती है अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र 1.9. खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार बोझ वाद तामील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। उप खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)

[illegible]

[illegible] 18/4/14

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय जयपुर

मुकदमा संख्या — 36/2014

[illegible] शर्मा पुत्र श्री भगवान सहाय जाति बागड़ा ब्राह्मण निवासी ग्राम अभयपुरा कपूरावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर। ——प्रार्थी

बनाम

1. रामनारायण पुत्र श्रीनारायण
2. भगवान सहाय पुत्र रामनारायण
3. रमेश पुत्र रामनारायण
4. हनुमान पुत्र रामनारायण
5. अशोक पुत्र रामनारायण
6. कौशल्या पुत्री रामनारायण पत्नी रमेश
7. किशन शर्मा पुत्र भगवान सहाय
8. पिंकी शर्मा पुत्री भगवान सहाय पत्नी मुकेश
9. तीजा देवी पत्नी छीतर
10. शंकर पुत्र नागजराम

समस्त जाति बागड़ा ब्राह्मण निवासी ग्राम अभयपुरा कपूरावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

11. राजहंस गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 जरिये मंत्री राजू सैनी पुत्र पूरण सैनी जाति माली निवासी मकान नम्बर 103-बी, अवधपुरी कॉलोनी, कालवाड रोड झोटवाड़ा जयपुर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
13. उप पंजीयक सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
14. दी जयपुर सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा सांगानेर जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक।

------अप्रार्थी

Rishi